(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खण्ड– I में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

<u>सार्वजनिक सूचना सं. 29/2015–2020</u>
नई दिल्ली, दिनांकः 4 अगस्त, 2015

विषयः– <u>विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 की प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 3.05 में संशोधन</u>।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 3.05 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं जो 1.07.2015 से लागू होंगे।

1. संशोधित पैराग्राफ 3.05 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः–

3.05 अन्तर्वर्ती प्रबंध

(क) मौजूदा विदेश व्यापार नीति की अधिसूचना की तिथि से निर्यातित माल अथवा प्रदान की गई सेवाओं, जो कि पूर्ववर्ती विदेश व्यापार नीति (नीतियों) के पूर्व के अध्याय–3 के तहत स्क्रिप जारी करने के लिए अन्यथा पात्र थी, के लिए और माल अथवा प्रदान की गई सेवाओं के ऐसे निर्यात के लिए मौजूदा विदेश व्यापार नीति की अधिसूचना की तिथि को या बाद में स्क्रिप के लिए आवेदन किया जाता है, तो आवेदन प्रक्रिया–पुस्तक खण्ड–I 2009–2014 में यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ क्षेत्राधिकारी आरए के पास किया जाएगा।

(ख) हटा दिया गया है।

(ग) आवेदक एफपीएस/एमएलएफपीएस/एफएमएस/वीकेजीयूवाई/एसएफआईएस/एसएचआईएस/आईईआईएस और संबद्ध प्रक्रिया–पुस्तक में निर्धारित आवेदन–प्रपत्र और विधि के अनुसार कृषि अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन स्कीम स्क्रिप के संबंध में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना जारी रखेगें।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>

निर्यातकों के लिए यह सुविधा तदनुरुपी प्रक्रिया पुस्तकों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार पूर्ववर्ती विदेश व्यापार नीति (नीतियों) के अध्याय 3 की स्कीमों के तहत लाभ हेतु आवेदन करना जारी रखने हेतु प्रदान की गई है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/61/180/33/एएम 16/पीसी–3 से जारी)